उपभोक्ता मामले विभाग

विधिक माप विज्ञान प्रभाग

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न संख्या 1: क्या विधिक माप विज्ञान (पैक बंद वस्तुए) नियम, 2011 के अधीन आवश्यक घोषणाओं को केवल जूते के डिब्बे पर घोषित करना पर्याप्त है, या जूते पर भी घोषित करने की आवश्यकता है?

उत्तरः यदि नियमों के तहत आवश्यक सभी घोषणाएं जूते के डिब्बे पर या उस पर चिपकाए गए/ दिखाई देने वाले लेबल पर स्पष्ट रूप से दी गई हैं, तो इसे जूते पर अलग से घोषित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह डिब्बे में बेचा जा रहा है।

प्रश्न सं 2: क्या बिना डिब्बे के बेचे जाने वाले जूतों के लिए भी घोषणा की आवश्यकता है?

उत्तरः डिब्बे के अभाव में, उपभोक्ताओं के हित में घोषणाएं जूते पर टैग या स्टिकर या अन्य तरीकों का उपयोग करके की जा सकती है।

प्रश्न सं 3: लीगल मेट्रोलॉजी (पैक बंद वस्तुए) नियम, 2011 के तहत खुदरा बिक्री मूल्य घोषित करने के लिए क्या ₹ का प्रतीक अनिवार्य है या "रु" शब्द की भी अनुमति है?

उत्तरः विधिक माप विज्ञान (पैक बंद वस्तुए) नियम, 2011 के तहत खुदरा बिक्री मूल्य की घोषणा या तो "₹" प्रतीक के साथ या "रु." शब्दों के साथ की जा सकती है।

प्रश्न सं 4: क्या लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009 की धारा 22 फीलर गेज पर लागू होती है।

उत्तरः विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 22 भारत में निर्मित या आयातित वजन और माप और वजन और माप उपकरणों के मॉडल को मंजूरी प्रदान करती है। धारा 22 उन वजन और मापों के लिए लागू होती है जो विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 में सूचीबद्ध हैं। 'फीलर गेज' वर्तमान में कानूनी माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के अंतर्गत नहीं आते हैं।

आशुतोष अग्रवाल

4/6/2025

आशुतोष अग्रवाल/ASHUTOSH AGARWAL
निदेशक, विधिक माप विज्ञान/Director, Legal Metrology
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food & PD
उपभोक्ता मामले विभाग/Department of Consumer Affairs
भारत सरकार/Government of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi

प्रश्न सं। 5: क्या विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 22 "इलेक्ट्रॉनिक कैलिपर्स, मिनी वर्नियर गेज, डायल डेप्थ गेज, डिजिटल कैलिपर्स, बोर गेज, डिजिटल संकेतकों" पर लागू होती है?

उत्तरः विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 22 भारत में निर्मित या आयातित वजन और माप और वजन और माप उपकरणों के मॉडल को मंजूरी प्रदान करती है। धारा 22 उन वजन और मापों के लिए लागू होती है जो विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 में सूचीबद्ध हैं। 'इलेक्ट्रॉनिक कैलिपर्स, मिनी वर्नियर गेज, डायल डेप्थ गेज, डिजिटल कैलिपर्स, बोर गेज, डिजिटल इंडिकेटर' वर्तमान में विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसलिए, वर्तमान में इन उपकरणों के लिए विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 22 के तहत मॉडल की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न सं। 6: बहुत उच्च परिशुद्धता वर्ग की तौल मशीनों का सत्यापन, स्टैम्पिंग और सीलिंग, कस्टम क्लीयरेंस से पहले या उपयोग के स्थान पर, स्थापना के बाद किया जाना आवश्यक है?

उत्तरः विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 24/ 33 और विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के नियम 27 के अनुसार, बहुत उच्च सटीकता वाले वजन करने वाली मशीनों का सत्यापन, मुद्रांकन और सीलिंग, उपयोग में लाने से पहले स्थापना के स्थान पर किया जाना आवश्यक है।

प्रश्न सं। 7: क्या विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 22 "लोड सेल" पर लागू होती है?

उत्तरः विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 22 भारत में निर्मित या आयातित भार और माप और वजन और माप उपकरणों के मॉडल को मंजूरी प्रदान करती है। धारा 22 उन भारों और मापों के लिए लागू होती है जो विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 में सूचीबद्ध हैं। 'लोड सेल' वर्तमान में विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के अंतर्गत नहीं आते हैं, जिन्हें जल्द ही इन नियमों के तहत जोड़ा जा सकता है। इसलिए, वर्तमान में 'इन लोड सेल' के लिए विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 22 के तहत मॉडल की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न सं। 8: मॉडल अनुमोदन संख्या, निर्माता, अधिकतम, न्यूनतम क्षमता, 'ई' मूल्य आदि का विवरण। क्या निर्माण के समय या मुद्रांकन प्लेट पर बिक्री के समय वजन/ मापने वाली मशीनों पर घोषित किया जाना आवश्यक है?

उत्तरः मॉडल अनुमोदन संख्या, निर्माता, अधिकतम, न्यूनतम क्षमता, 'ई' मूल्य आदि का विवरण, निर्माण के समय वजन/मापने वाली मशीनों पर, घोषित करने की सलाह दी जाती है लेकिन बिक्री/ उपयोग में लाने से पहले अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

प्रश्न सं। 9: आर एंड डी या अन्य उद्देश्यों के लिए, उनके विशेष उपयोग के अनुसार, वजन मशीन का आयात कैसे किया जाए, जिसके लिए निर्माण के देश में मॉडल अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

उत्तरः अनुसंधान एवं विकास उद्देश्यों के लिए, बहुत कम तौल/मापन उपकरणों (5 से अधिक नहीं) का आयात किया जा सकता है। हालाँकि, इन मशीनों को विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 या इसके तहत बनाए गए नियमों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किए बिना बेचा/

आशुतोष अग्रवाल/ASHUTOSH AGARWAL
निदेशक, विधिक माप विज्ञान/Director, Legal Metrology
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food & PD
उपभोक्ता मामले विभाग/Department of Consumer Affairs
भारत सरकार/Government of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi

उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। ऐसे आयात की सूचना आवश्यक कार्रवाई के लिए विधिक माप विज्ञान के संबंधित नियंत्रक को लिखित रूप में दी जानी चाहिए।

प्रश्न सं। 10: क्या पैकेज्ड कमोडिटीज नियम (एलएमपीसी नियम के रूप में जाना जाता है) संस्थागत और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए आयातित (खुदरा बिक्री के लिए नहीं), उत्पादों के लिए लागू हैं जिसमें एमआरपी की घोषणा, उपभोक्ता देखभाल विवरण आदि शामिल हैं?

उत्तरः लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 के नियम 3 के अनुसार संस्थागत और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए पूर्व-पैकेज्ड वस्तुओं पर अनिवार्य घोषणा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बिक्री से पहले पैकेज पर 'खुदरा बिक्री के लिए नहीं' की घोषणा होनी चाहिए।

प्रश्न सं। 11: क्या अनुसंधान और विकास के लिए उपयोग की जाने वाली तौल मशीनों के सत्यापन और मुद्रांकन की आवश्यकता है?

उत्तरः विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 55 के अनुसार अनुसंधान और विकास उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली तौल मशीनों के सत्यापन और मुद्रांकन की आवश्यकता नहीं है।

11/6/2025

आशुतोष अग्रवाल/ASHUTOSH AGARWAL
निदेशक, विधिक माप विज्ञान/Director, Legal Metrology
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food & PD
उपभोक्ता मामले विभाग/Department of Consumer Affairs
भारत सरकार/Government of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi